परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ से कोट–बागी मोटर मार्ग के किमी० 7.00 से किमी० 10.00 कोट गाँव तक मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी०) हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (कुल वन भूमि 0.398 है०)।

भू–वैज्ञानिक की आख्या

भू–वैज्ञानिक आख्या संलग्न है।

कनिष्ठ अभियन्ता, पी० एम० जी० एस० वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सहायक अभियन्ता, पी० एम० जी० एस० वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	अधिशासी अभियन्ता, पी० एम० जी० एस० वाई०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

(9) (5)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 57 / 2748 / 14

जनपद उत्तरकाशी मे प्र0 ग्रा0 सड़क योजना में चिन्यालीसौड़ से कोट–बागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

PC Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0
उत्तरकाशी

जुलाई 2014

(8) 52

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN, UTTARAKHAND
Phone&Fax:–+91135-2530467, 2530431 E-Mail-epwdua@rediff.com

पत्रांकः– 70/भू0/लो0नि0/6/14 दिनांकः– 1/07/2014

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
उत्तरकाशी।

विषयः– मार्ग समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित चिन्यालीसौड़ से कोट–बागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या सूचनार्थ एंव आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

H. Kumar 1.7.14
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

पत्रांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– कार्यालय प्रमुख अभियन्ता यातायात वर्ग लो0नि0वि0 देहरादून को आख्या की प्रतिसहित को सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक

PC Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0
उत्तरकाशी

(10) (53)

जनपद उत्तरकाशी में प्र0 ग्रा0 सड़क योजना मे चिन्यालीसौड़ से कोट–बागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अन्तर्गत 10 कि0मी0 लम्बाई में चिन्यालीसौड़–कोट–बागी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनाँक 19.6.2014 को संबधित सहायक अभियन्ता श्री के0 सी0 त्यागी एंव कनिष्ठ अभियन्ता श्री शिवराज रावत के साथ निरीक्षण किया गया।

2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–11 में चिन्यालीसौड़ से कोट–बागी मोटर मार्ग का 10.00 कि0मी0 लम्बाई मे निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि पूर्व मे राज्य योजना मे यह मार्ग 7.00 कि0मी0 लम्बाई के लिये स्वीकृत था तथा वह समरेखन भी निर्धारित हो चुका था। प्र0 ग्रा0 सड़क योजना मे अब 7.00 कि0 मी0 के उसी समरेखन को अपनाया गया है तथा आगे कोट गांव तक 3.00 किमी0 नया समरेखन किया गया हैं। यह समरेखन चिन्यालीसौड में सिचांई विभाग की कालोनी के मार्ग में सूरीढ़ांग नामक स्थान से आरम्भ होता है तथा चिन्यालीगांव एवं बागी होते हुये निर्धारित 10.00 किमी0 लम्बाई में कोट पहुंच कर पूर्ण होता है। अवगत कराया गया है कि समरेखन नाप भूमि एंव वन भूमि से होकर गुजरता है। मार्ग निर्माण हेतु 7.29 है0 नाप भूमि एवं 1.71 है0 वनभूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता बताई गई है। समरेखन में कुल 13 हेयर पिन बैण्ड्स प्रस्तावित है, जिनमें पांचवा एवं छटा बैण्ड बहुत निकट है , (क्रास सैक्शन 4/16 व 4/19) अतः विस्तृत सर्वेक्षण के समय इनके मध्य दूरी बढ़ाये जाने पर विचार किया जाये। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रथम दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नही हुई।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति, भू–आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे है, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिगं दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहां इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकल्पना के आधार पर कराया जायें।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन मे प्रस्तावित हेयर पिन बैंड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाये। पास–पास स्थित बैण्डस के मध्य यथासम्भव दूरी बढ़ाई जाये तथा एक के ऊपर दूसरा बैण्ड ना बनाया जाये।

(ग) तीव्र ढलान में मार्ग की एक से अधिक आर्म्स की स्थिति को avoid किया जाना चाहिये अन्यथा मार्ग के कटान के बाद स्थानीय भूस्खलन होने तथा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।

(घ) समरेखन के समीप स्थित घरों से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटकों का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।

(ङ) समरेखन में तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग मे सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

PC Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0
उत्तरकाशी

(च) जहां मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो, आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ–साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

(छ) जहाँ आवश्यक हो मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर समुचित पौधों का रोपण किया जाये जिससे ढलान पर भूक्षरण की प्रकिया को नियंत्रित रखा जा सके।

(ज) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एंव स्कपर का प्रावधान किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(झ) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एंव विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नव निर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दुः–

(क) मार्ग के कटान के पश्चात हिल साईड मे जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material.के angle of repose.से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अंस्थिर होने की सम्भांवना हो सकती है।

(ख) तीव्र चट्टानी ढलान में blasting किये जाने पर चट्टान के ज्वाइन्ट्स सक्रिय हो सकते है तथा नई दरारें भी उत्पन्न हो सकती है, जिनके कारण विपरीत परिस्थितियों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः जहां आवश्यक हो मार्ग कटान में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाये।

6. चिन्यालीसौड़–कोट–बागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.00 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

<u>टिप्पणीः–</u>

(1) भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एंव खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाए।

(2) मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गों के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता0–उ0/05 दि0 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

H. Kumar
1.7.14
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 उत्तराखण्ड
देहरादून

PC Attested

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0
उत्तरकाशी